कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक– 633 / 220 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020. भोपाल, दिनांक– 04 / 09 / 2020.

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र् 2019–20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन के लिए महाविद्यालयों की वेबसाइट के लिए स्पेस के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भः– उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश कमांक एफ 770 / 2020 / 38–3 भोपाल, दिनांक 13.08.2020

––000––

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के सन्दर्भित आदेश के परिपालन में सत्र 2019–20 के स्नातक प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष (नियमित) तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (नियमित) परीक्षार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन / असाईनमेन्ट के प्रश्न समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हैं।

प्रदेश के समस्त जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों के साथ दिनांक 03.09.2020 को आयोजित गूगल मीट में विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन / असाईनमेन्ट के प्रश्न महाविद्यालय की वेबसाइट पर स्पेस कम होने के कारण अपलोड करने में कठिनाई बताई गई है।

अतः प्रदेश के समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट पर वर्तमान में अतिआवश्यक जानकारी को छोडकर शेष जानकारी अस्थाई रूप से वेबसाइट से पृथक कर आंतरिक मूल्यांकन / असाईनमेन्ट के प्रश्न अपलोड किये जा सकते हैं। इसके पश्चात् ही यदि अतिरिक्त स्पेस की आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) से सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सत्र 2019–20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षा समाप्ति के पश्चात् महाविद्यालय की वेबसाइट से पृथक की गई जानकारी आवश्यकतानुसार पुनः अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

''आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित''

4/9/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक– 634 / 220 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020. भोपाल, दिनांक– 04 / 09 / 2020

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सहायक अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र।
4. प्राचार्य समस्त अग्रणी महाविद्यालय म.प्र।
5. प्राचार्य समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय म.प्र।
6. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–246 / 228 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020. भोपाल, दिनांक– 07/09/2020.

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र 2019–20 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयीन परीक्षा संचालन के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भः– 1. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश कमांक एफ 770 / 2020 / 38–3 भोपाल, दिनांक 13.08.2020

2. आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेश कमांक 581 / 202 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 18.08.2020

3. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश कमांक 811 / 969 / 2020 / 38–3 भोपाल, दिनांक 26.08.2020

––000––

विषयान्तर्गत सन्दर्भित बाबत लेख है कि सत्र 2019–20 के अन्तर्गत स्नातक प्रथम / द्वितीय / तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय / चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की असाईनमेट / आतंरिक मूल्यांकन / ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से परीक्षा आयोजित करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। स्नातक / स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यकमों की परीक्षाएं 30 सितम्बर 2020 तक पूर्ण की जाना है एवं 30 अक्टूबर 2020 तक स्नातक / स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यकमों के परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हैं।

स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों की असाईनमेट / आतंरिक मूल्यांकन / ओपन बुक परीक्षा के आयोजन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन इत्यादि कार्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश तथा प्राचार्य समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि सितम्बर–अक्टूबर 2020 के मध्य किसी भी माध्यम से वेबिनार / वर्कशॉप / सेमिनार / फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इत्यादि आयोजित न किया जाएं।

विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्राचार्य समस्त अग्रणी महाविद्यालयों के माध्यम से स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की ओपन बुक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि के मध्य **विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टॉफ परीक्षा संचालन / मूल्यांकन एवं प्रवेश प्रकिया के कार्यो को अनिवार्य रूप से सम्पादित करेंगे।**

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. कमांक–247 228 / आउशि / शा.–5'अ' / 2020. भोपाल, दिनांक–07 / 09 / 2020

प्रतिलिपि –

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश, ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक–237/236/आउशि/शा.–5'अ'/2020. भोपाल, दिनांक– 09/09/2020.

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र् 2019–20 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयीन परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में।

सन्दर्भः– 1. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक एफ 770/2020/38–3 भोपाल, दिनांक 13.08.2020
2. उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक 811/969/2020/38–3 भोपाल, दिनांक 26.08.2020

––000––

विषयान्तर्गत सन्दर्भित बाबत लेख है कि सत्र 2019–20 के अन्तर्गत स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाईमेन्ट/आंतरिक मूल्यांकन के अधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

निर्देशानुसार सत्र 2019–20 में स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम दिनांक 30/09/2020 तक घोषित किये जाने के लिए प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

9.9.2020

(मुकेश कुमार शुक्ल)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक–238/236/आउशि/शा.–5'अ'/2020. भोपाल, दिनांक–09/09/2020

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र।
6. प्राचार्य, समस्त स्वशासी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9.9.2020

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश